न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 15 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 प्यारेलाल पुत्र मोहनलाल 2 सोहनलाल पुत्र मोहनलाल 3 चुन्नीलाल पुत्र जसाराम 4 पोकरराम पुत्र जसाराम, 5 रमेशचन्द्र पुत्र हरीराम 6 मोहनलाल पुत्र रूपाराम 7 कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल 8 इन्द्रादेवी पुत्री घेवरराम जाति सरगरा निवासी चण्डावल तहसील सोजत		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत(भू0अ0) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक 27/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल के खसरा संख्या 835 गै0मु0 बेरा पर आने जाने से खसरा संख्या 840 / 4 से खसरा संख्या 836 रकबा 0.6200 किस्म गै0मु0 तेडिया में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर आज जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक / निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2024 / 635 दिनांक 17.05.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चण्डावल के खसरा नम्बर 835 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 836 व 840 / 4 से मांग की गई है। जबकि 840 / 4 प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमि है खसरा संख्या 836 सिवायचक भूमि है। खसरा संख्या 835 से लगती हुई खसरा 863, 863 / 1, 863 / 2 863 / 3 833, 833 / 1, 833 / 2, 834 / 1, 834, 834 / 2, 834 / 3,

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

834/4 प्रार्थी गण स्वयं की खातेदारी भूमियां है, जो ख0नं0 661 किस्म गै0मु0 से जुड़ती है, जो गॉव की आबादी तक आती है तथा रास्ते के रूप में प्रयुक्त होती हे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा चण्डावल के खसरा संख्या 835 गै0मु0 बैरा पर आने जाने से खसरा संख्या 840/4 से खसरा संख्या 836 रकबा 0.6200 किस्म गै0मु0 तेडिया में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी व अन्य की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज सिवायचक ख0नं0 661 किस्म गै0मु0, जो गांव की आबादी तक जाती है तथा रास्ते के रूप में प्रयुक्त होती हैं, पर स्थित होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध है। जिससे वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना साबित नहीं होता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नहीं करने तथा स्वीकार योग्य नहीं होने से स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)